न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा
मनोज उर्फ राजमल बनाम सरकार
प्रकरण संख्या- 146/2023 वाद
GCMS No. – 2023/502

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 146/2023 वाद
GCMS No. – 2023/502

श्री मनोज उर्फ राजमल पिता गोपाल जाति दर्जी निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

–वादी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं
2– तहसीलदार निम्बाहेड़ा –प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. .प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 1922 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में मेरा राजमल पिता गोपाल दर्ज है जबकि मेरा वास्तवित नाम मनोज पिता गोपाल हैं। राजमल मेरा बोलता नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम राजमल पिता गोपाल के बजाय मनोज पिता गोपाल दर्ज किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में रिपोर्ट मय पर्चा मौका प्रस्तुत किया है। तहसीदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 63 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार का नाम राजमल पुत्र गोपाल दर्जी है, प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 63 के राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम संशोधित कर मनोज पुत्र गोपाल दर्ज किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच संलग्न पर्चा मौका अनुसार ग्राम सतखण्डा में की गई। ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 63 में खातेदार राजमल पुत्र गोपाल जाति दर्जी, सा.

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सतखण्डा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने आधार कार्ड, पहचान–पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत किये जसमें प्रार्थी का नाम मनोज दर्ज है। मौका पर्चा जांच से राजमल व मनोज एक ही व्यक्ति के नाम होना जाहिर आया। मनोज (राजमल) के नाम से गोपाल दर्जी के अन्य कोई पुत्र नहीं होना जाहिर आया। जांच के दौरान मजमेआम में जाहिर आया कि श्री गोपाल दर्जी के तीन पुत्र 1. कमलेश कुमार 2. दिनेश कुमार 3. राजमल (मनोज) व दो पुत्रियां 1. मंजु 2. राधा व पत्नी सीता है। जिसमें राजमल बोलता नाम है व मौतबिरान अनुसार राजमल व मनोज एक ही व्यक्ति के नाम है व राजमल नाम से मनोज के अलावा श्री गोपाल दर्जी के अन्य कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दजस्तावेज में नाम मनोज दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम राजमल के बजाय मनोज करने में मोतबिरान अनुसार मजमेंआम में किसी प्रकार की काई आपत्ति जाहिर नहीं हुई।

3. वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 1922 रकबा 0.2500 हैक्टेयर प्रमाणित प्रति पेश की है। ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति, सहखातेदार एवं अपने भाई कमलेश कुमार एवं दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रार्थी ने स्वयं का आधार, पेन कार्ड, पहचान–पत्र की फोटोप्रति पेश की है।

4. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 1922 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में वादी का नाम राजमल पुत्र गोपाल दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र में वादी का नाम मनोज पिता गोपाल दर्ज है। ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में राजमल टेलर पिता गोपाललाल टेलर व मनोज टेलर पिता गोपाललाल टेलर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के भाई एवं सहखातेदार दिनेश कुमार एवं कमलेश कुमार ने भी अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित किया उक्त खाता नकल में मेरे भाई राजमल का बोलता नाम दर्ज है। उसका सही व वास्तविक नाम मनोज पिता गोपाल है तथा उक्त खाता नकल में मनोज नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार राजमल व मनोज एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी वादी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राजमल पुत्र गोपाल के बजाय मनोज उर्फ राजमल पुत्र गोपाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद डिक्री योग्य हैं।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलकटर, निम्बाहेडा
मनोज उर्फ राजमल बनाम सरकार
प्रकरण संख्या- 146/2023 वाद
GCMS No. – 2023/502

5. अतः वादी का वाद पर्याप्त दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम सतखण्डा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 1922 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम राजमल पुत्र गोपाल के बजाय मनोज उर्फ राजमल पुत्र गोपाल घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

29/12/23

रमेश सीरवी पुनाड़िया
सहायक कलेक्टर,
निम्बाहेड़ा